स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

RNI Regd. No. 7756/59

60 वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

जगदलपुर, सोमवार 07 जनवरी 2019 | वर्ष 60 | अंक 350 | पृष्ठ 12 | मूल्य 2.00 | प्रधान संपादक - तुषार कांति बोस

1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर राहुल-निर्मला में घमासान

एचएएल पर रार

नयी दिल्ली,06 जनवरी (ए)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एक लाख करोड़ रुपये का सरकारी ऑर्डर देने के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदन में अपने बयान के समर्थन में वह या तो दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें। गांधी ने सरकार पर निशाना तब साधा है जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ''एचएएल के पास एक लाख करोड़ रुपये में से एक भी रुपया नहीं आया है। दावे के विपरीत अब तक एक भी ऑर्डर पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।'' मीडिया रिपोर्ट में अपने दावे के समर्थन में एचएएल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी को उद्धृत किया गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी एचएएल वित्तीय संकट से जूझ रही है और अपने कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए धन उधार लेने को मजबूर है। विपक्षी दल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तहत एचएएल को एक ऑफसेट अनुबंध से वंचित कर दिया। सरकार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। उधर, भाजपा नीत एनडीए सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने अपने शासनकाल में एचएएल का समर्थन नहीं किया और सरकार अब रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम को मजबूत कर रही है। गांधी ने ट्वीट किया, ''जब आप झूठ बोलते हैं, तो उसके समर्थन में आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं। राफेल पर प्रधानमंत्री के झूठ का बचाव करने के लिए रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला।'' उन्होंने कहा, ''कल रक्षामंत्री संसद में एचएएल को एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर देने का दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें।'' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने सूट-बूट वाले दोस्तों की मदद करने के लिए एचएएल को कमजोर किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को ट्वीट किया, ''झूठ बोलने वाली रक्षा मंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो गया। रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि एचएएल को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद के ऑर्डर दिए गए हैं। एचएएल का कहना है कि उसे एक पैसा तक नहीं मिला क्योंकि एक भी ऑर्डर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।'' उन्होंने कहा, ''पहली बार, एचएएल वेतन देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को मजबूर है।''

ईडी का कोर्ट में दावा

मिशेल ने दूसरे रक्षा सौदों में भी पाए थे पैसे

0-नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। अगुस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर केस में गिरफ्तार हुए कथित बिचौलिये क्रिस्चन मिशेल ने दूसरे रक्षा सौदौं में भी पैसे पाए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में यह दावा किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि दूसरे रक्षा सौदों में भी मिशेल की भूमिका थी, जिसकी जांच की जानी है। बता दें कि कोर्ट ने मिशेल को 27 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया कि मिशेल को अगुस्टा वेस्टलैंड डील से 2.42 करोड़ यूरो (करीब 192 करोड़ रुपये) और 1.6 करोड़ पाउंड (करीब 142 करोड़ रुपये) मिले थे। एजेंसी ने कोर्ट को बताया, श्पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उसने (मिशेल) दूसरे रक्षा सौदों में भी पैसे हासिल किए थे, जिनकी ईडी जांच करेगी। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटरों डी. पी. सिंह और एन. के. मत्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपी ने कैश हासिल करने और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हवाला ऑपरेटरों के जरिए पैसे हासिल किए। शनिवार को मिशेल की 14 दिनों की कस्टडी पूरी हो रही थी, लिहाजा एजेंसी ने उसे कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेजने की गुजारिश की, क्योंकि अगर उसे छोड़ा गया तो वह भाग सकता है।

ईडी ने कोर्ट से कहा, आरोपी ब्रिटिश नागरिक है और उसकी भारत में जड़ें नहीं हैं। इस बात की आशंका है कि वह कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से फरार हो सकता है। उसका इतिहास भी इस आशंका को बल देता है।श् ईडी ने कहा, श्उसे बड़ी कोशिशों के बाद प्रत्यर्पण के जरिए लाया गया है। उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने मिशेल को ईडी के मामले में 26 फरवरी तक और सीबीआई के मामले में 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गौरतलब है कि मिशेल को हाल ही में दुबई से प्रत्यर्पण के बाद ईडी ने उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से ही वह ईडी की कस्टडी में था। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने मिशेल द्वारा गैरकानूनी ढंग से हासिल किए गए पैसों से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान कर ली है। एजेंसी ने कहा कि मिशेल ने तमाम सवालों के विरोधाभासी जवाब दिए।

संसदीय समिति ने जताई अनुसंधान एवं विकास के निवेश पर चिंता

नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। भारत में सरकार के स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर बहुत कम निवेश पर संसद की स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त करते हुये इस दिशा में तत्काल निजी क्षेत्र को साथ लेकर शोध को बढ़ावा देने के उपाय लागू करने की सिफारिश की है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार द्वारा आर एंड डी पर किये गये निवेश स्तर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज 0.6 प्रतिशत होने पर चिंता जतायी है।

एनएचपीसी का जलविद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी, एनएचपीसी लिमिटेड को 04 जनवरी, 2019 को सीबीआईपी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जलविद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूटीलिटी के लिए सीबीआईपी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार पड़ोसी देशों में जलविद्युत के विकास में दिए गए योगदान के अतिरिक्त देश में जलविद्युत संयंत्रों के विकास और कुशल संचालन हेतु राष्ट्र को दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। एनएचपीसी की ओर से उक्त पुरस्कार बलराज जोशी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी ने आर.के. सिंह, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया।

सबरीमाला से दर्शन कर लौट रहे तेलंगाना के 10 श्रद्धालुओं की मौत

पुडुक्कोट्टई/चेन्नै ,06 जनवरी (ए)। केरल के सबरीमाला मंदिर से दर्शन कर लौट रहे 10 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रविवार को तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टई जिले में हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरी वैन में एक ट्रक ने टक्कर मार दी।

दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए मृतकों की शिनाख्त हो गई है।

हत्या के प्रयास मामले में समझौता गैरमाफी योग्य अपराधः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। आपराधिक मामलों को आपसी समझौते सुलह के बाद निरस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला रद्द नहीं किया जा सकता चाहे आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच सुलह ही क्यों न हो गई हो। यह गैरमाफी योग्य अपराध है। हालांकि, इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में धारा 307 के तहत किए गए अपराध में सुलह के बाद मामले की कार्यवाही समाप्त करने को सही ठहराया था। धारा 307 में जुर्म साबित होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने यह व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार की अपील स्वीकार करते हुए दी। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने अभियुक्त कल्याण सिंह के खिलाफ धारा 307, 294 तथा 34 आईपीसी का मुकदमा समाप्त कर दिया था। पीठ ने कहा कि गंभीर आरोपों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में इस आधार पर आरोपों को निरस्त कर गंभीर चूक की है कि आरोपी और शिकायतकर्ता में सुलह हो चुकी है। जबकि धारा 307, 294 तथा 34 आईपीसी के ये आरोप संगीन प्रकृति के हैं और इनमें समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि उन अपराधों को क्षमा नहीं किया जा सकता है जो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत क्षम्य नहीं हैं। चाहे ऐसे अपराधों में अभियुक्त ने समझौता कर विवाद सुलझा लिया हो। समझौता उन्हीं अपराधों में हो सकता है जिसमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान हो। हालांकि, इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार केस में धारा 4307 के तहत समझौता होने पर अपराधों को समाप्त करने के फैसले को सही मान लिया था।

कृषि मंत्री प्रदीप महारथी का इस्तीफा

दुष्कर्म मामले पर दिया था विवादित बयान

भुवनेश्वर ,06 जनवरी (ए)। ओडिशा के कृषि मंत्री एवं बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता प्रदीप महारथी ने रविवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के दफ्तर में अपना त्याग-पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह नैतिक आधार पर पद छोड़ रहे हैं। इस्तीफे के बाद वह बोले, मैं बीजद का ईमानदार कार्यकर्ता हूं। मैं पार्टी और सीएम की इज्जत करता हूं। पार्टी पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए, लिहाजा मैंने अपना पद छोड़ा है।

वाड्रा लंदन में हेराफेरी के पैसे से खरीदे गए फ्लैट के वर्चुअल ऑनर हैं

ईडी ने कोर्ट को बताया

नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। कांग्रेस पार्टी के करीबी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही जांच में गंभीर मोड़ आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली कोर्ट को बताया कि वह लंदन में एक फ्लैट के वर्चुअल ऑनर (किसी संपत्ति का अधिकारिक मालिक न होते हुए भी उस पर अपने मालिकाना हक होने का जिक्र करना) हैं, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ 80 लाख रुपये से ज्यादा है।

ईडी ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट को लेकर शनिवार को अरविंद कुमार की स्पेशल कोर्ट का रुख किया। अरोड़ा ईडी की रेड के बाद से ही फरार है। ईडी का दावा है कि लंदन की प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदा गया है। एजेंसी का दावा है कि मनोज अरोड़ा इस लेनदेन का चश्मदीद है, जो इस ट्रांजेक्शन के बारे में सब कुछ जानता है।

एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि यह फ्लैट भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा था और वाड्रा के कंट्रोल वाली फर्म ने इसी कीमत पर भंडारी से इसे खरीदा था। भंडारी के खिलाफ ऑफिशल सीक्रेट ऐक्ट के तहत 2016 में मुकदमा दर्ज किया था।

यह भी आशंका जताई जा रही है कि भंडारी नेपाल के जरिए देश छोड़ने में कामयाब रहा है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भंडारी की दिल्ली और गुड़गांव स्थित प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

अरोड़ा भी दिल्ली और बेंगलुरू स्थित उसकी संपत्तियों पर ईडी की रेड के बाद से फरार है। यह रेड वाड्रा के खिलाफ ब्लैक मनी ऐक्ट में दायर की गई थी।

अरोड़ा के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट की मांग करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया कि कई बार बुलाने के बाद भी अरोड़ा पूछताछ के लिए नहीं आया है। ईडी ने कहा कि अरोड़ा से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि वह वाड्रा के खिलाफ कई लेनदेन की जानकारी रखता है।

बिलासपुर से बोइंग भरेगी उड़ान, बनेगा नया टर्मिनल

बिलासपुर, 06 जनवरी । राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बिलासपुर और जगदलपुर दोनों शहर अब अंतर्राज्यीय विमान सेवा से जुड़ने वाला है। इसमें बिलासपुर सबसे ज्यादा फायदे में है। यहां दिल्ली से उड़कर बोइंग पहुंचेगी। इसके बाद बोकारो होते हुए कोलकाता तक फ्लाइट जाएगी। जबकि जगदलपुर से केवल विशाखापत्तनम तक जहाज उड़ाने का प्रस्ताव है। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने के बाद अब जिले के चकरभाठा एयरपोर्ट में नया रनवे और टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविशन(डीजीसीए) के सर्वे में पता चला है कि अगरचकरभाठा एयरपोर्ट में बोइंग उतारी जाए तो पर्याप्त यात्री मिल सकते हैं। इसे देखते हुए बोइंग के हिसाब से एयरपोर्ट को तैयार कराने के लिए कहा गया है। हरी झंडी मिलने के बाद अब नया रनवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई दो किलोमीटर होगी। इसे इतना मजबूत बनाया जाएगा कि भारी विमान लैंड करे तो सड़क को कोई नुकसान न हो। इसी तरह मौजूदा टर्मिनल भी बोइंग को कंट्रोल करने के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ऐसे में यहां नया टर्मिनल भी बनाने का प्रस्ताव है। जो आधुनिक रडार से लेकर अन्य मशीनों से लैस होगा ताकि विमानों को सुरक्षित लैंड कराया जा सके और यहां से उड़ान भी आसान हो। फिलहाल नए कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। डीजीसीए के मापदंडों के अनुसार काम करने के बाद यहां विमान उतारने के लिए प्रयास शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि प्रदेश में राजधानी के बाद बिलासपुर में ही हवाई सेवा के लिहाज से सर्वाधिक संभावनाएं हैं। एनटीपीसी, एसईसीएल, हाईकोर्ट से लेकर कई खनन कंपनियों का यहां मुख्यालय भी है। यहां से हवाई यात्रा करने वालों की अच्छी खासी संख्या मिल सकती है। यही कारण है कि डीजीसीए ने प्रदेश में बिलासपुर को ही बड़े शहरों से जोड़ने के लिए उपयुक्त माना है। यहां बिलासपुर,जगदलपुर के अलावा अंबिकापुर भी हवाई सेवा शुरू करने की दौड़ में शामिल था। अंबिकापुर के हाथ खाली है,जबकि जगदलपुर को भी केवल एक शहर के लिए ही हवाई सेवा शुरू करने के लिए उपयुक्त पाया गया है।

आज का इतिहास

1858 मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के खिलाफ मुकद्दमा शुरू हुआ.

1972 भारत ने चीन को राजनयिक मान्यता दी.

1998 मदन मोहन पुंछी भारत के 28 वें मुख्य न्यायाधीश बने.

2004 मेनका गांधी ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की.

बहुत खूब

दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, कैदियों के साथ होता है ऐसा

नई दिल्ली 06 जनवरी (ए)। दुनिया में हर देश में कई सारी जेले है जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। उन्हीं में से ब्लैक डॉलफिन एक ऐसी जेल है जिनके नाम से ही कैदियों के पसीने छूट जाते है।

जी हां, दुनिया में सबसे खतरनाक जेलों कि फेहरिश्त में ब्लैक डॉलफिन का नाम है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क से लेकर अपनी सैन्य ताकत के मामले में भी रूस अमेरिका को टक्कर देता है।

इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल का खिताब मिला हुआ है। इस जेल के बारे में बताते है कि यहां कैदी सुबह से रात तक खड़े रहते हैं।

दक्षिणी रूस के ऑरेनबर्ग शहर में स्थित इस जेल के नियम पूरी दुनिया में सबसे सख्त हैं। इस जेल से आजतक कोई कैदी फरार नहीं हुआ।

अपराध जगत में तो यहां तक कहा जाता है कि इस जेल से अपराधी तब ही निकलता है जब उसकी मौत होती है। दुनिया के इस सबसे खतरनाक जेल में रहने वाले अपराधी भी खास होते हैं। यह जेल लगभग 1700 साल से कई रूप में काम कर रही है। जेल का नाम डॉलफिन इसलिए है क्यूंकि यहा डॉलफिन कि मूर्ति है। यह मूर्ति इस जेल में रहे कैदियों ने ही बनाई है।

अब रेलवे स्टेशनों पर 20 मिनट पहले पहुंचना होगा

हवाई अड्डों की तर्ज पर सुरक्षा पर बनी योजना

नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए हवाई अड्डों सरीखी व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्रस्थान के तय समय से 20 मिनट पहले आना होगा, ताकि सुरक्षा चेकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

रेलवे के अनुसार उच्च एवं तकनीकी के साथ इस व्यवस्था को फिलहाल इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर लागू किया गया है, जहां कुंभ के मौके पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने वाले हैं। कुंभ मेले की शुरुआत इसी महीने से हो रही है। इसके अलावा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इन दोनों स्टेशनों पर पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके बाद देश के 202 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। रेलवे प्रॉटेक्शन फोर्स के डीजीपी जनरल अरुण कुमार ने यह जानकारी दी। इसके तहत रेलवे ने स्टेशनों को सील करने की तैयारी की है। सबसे पहले स्टेशनों पर ओपनिंग पॉइंट्स की पड़ताल की जाएगी और फिर यह तय किया जाएगा कि किन्हें बंद किया जा सकता है।

कई इलाकों को स्थायी दीवारों के माध्यम से बंद किया जाएगा और कुछ ओपनिंग पॉइंट्स की निगरानी रेलवे प्रॉटेक्शन फोर्स के जिम्मे दी जाएगी। यही नहीं कुछ जगहों पर अस्थायी दरवाजे तैयार किए जाएंगे।

अरुण कुमार ने बताया, कि हर एंट्री पॉइंट पर रैंडम सिक्यॉरिटी चेक होगा। हालांकि एयरपोर्ट्स की तरह यात्रियों को यहां घंटों पहले आने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें 15 से 20 मिनट पहले आना होगा ताकि सिक्योरिटी चेक्स के चलते ट्रेन छूटने की स्थिति न पैदा हो सके।

आप विधायक पर दंगे का केस चलाने का आदेश

नई दिल्ली ,06 जनवरी (ए)। अदालत ने मॉडल टाउन विधानसभा से 'आप' के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ साल 2013 के एक मामले में दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसाने पहुंचाने के आरोपों में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। विधायक के साथ 17 दूसरे लोग भी इन्हीं आरोपों में मुकदमे का सामना करेंगे। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने विधायक और 17 दूसरे लोगों के खिलाफ आईपीसी के तहत 8 अपराधों के आरोप तय करते हुए यह आदेश दिया। इसमें ज्यादातर आरोप घातक हथियारों के साथ दंगा करने, गैरकानूनी सभा और सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के लिए उसके साथ मारपीट से जुड़े हैं।

लॉग ऑन करें : दण्डकारण्य समाचार इंटरनेट संस्करण http://www.dandakaranyasamachar.com Go